संख्या : 1840 /III(2)/51 (सामान्य)–13/2020

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून : दिनांक 01 सितम्बर, 2020

लोक निर्माण अनुभाग–2

विषय : लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किए जाने वाले सेतु/पैदल सेतुओं के सम्बन्ध मे।

महोदय,

प्रदेश की विभिन्न विधानसभान्तर्गत सेतुओं के निर्माण कार्यो हेतु रूपये एक करोड़ से अधिक के प्रस्तावों पर विभागीय समिति के समक्ष विभाग द्वारा रखे गये प्रस्तुतिकरण के दौरान चर्चा करते समय पाया गया कि शासन को प्राप्त विस्तृत आगणनों (D.P.R.) में जो प्राविधान रखे गये हैं, उनको क्यों और किस आधार पर रखा गया है, का संतोषजनक उत्तर सम्बन्धित् अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जाता है, जैसे किसी सेतु का स्पान निर्धारण करते हुए सिंचाई विभाग से उस नदी के फ्लो का पिछले 20 वर्षो का डेटा आदि लिया जाना। प्रायः यह भी देखा गया है कि सेतु का विस्तृत आगणन (D.P.R.) जो कन्सलटेंट द्वारा निर्मित किया गया है, का विभाग द्वारा कोई परीक्षण/अध्ययन न करते हुए सीधे शासन को प्रेषित कर दिया जाता है, यह प्रकिया किसी भी दशा में उचित नहीं कही जा सकती है।

2– उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत सेतुओं से सम्बन्धित् आगणनों के सम्बन्ध में निम्न प्रकिया निर्धारित की जाती है :–

(1) किसी भी सेतु का स्पान निर्धारण करते समय सिंचाई विभाग से उस नदी के डिस्चार्ज का डेटा प्राप्त कर लिया जाय।

(2) किसी भी सेतु का आगणन प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में स्थापित डिजाइन सैल के माध्यम से परीक्षणोपरान्त ही शासन को उपलब्ध कराया जाय।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

संख्या —— /III(2)/51(सामान्य)–13/2020 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1.समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(प्रभात सिंह)